UDAAN

cgtmse

20वां वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

विषय–सूची

प्रेषण पत्र	1
अध्यक्ष का संदेश	2
न्यासी मंडल	3
मुख्य विकास एवं पहलकदमियाँ	4
मुख्य विशेषताएं	5
परिचालन झलकियाँ	6
वित्तीय वर्ष 2020 के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ	7
वित्तीय विवरण	14

प्रेषण पत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट,
स्वावलम्बन भवन, सिडबी, 7वां तल,
सी–11, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुम्बई–400051

सितम्बर 04, 2020

सेवा में
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,
भारत सरकार
कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई)
निर्माण भवन, 7वां तल, 'ए' विंग,
मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली–110108

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय, सिडबी टॉवर, 15, अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001

प्रिय महोदय,

भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, अवस्थापकों द्वारा निष्पादित ट्रस्ट की घोषणा के खंड 14.2 के निबंधनानुसार, मैं निम्नलिखित दस्तावेज एतद्द्वारा अग्रेषित कर रहा हूँ:

(i) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित ट्रस्ट के लेखापरीक्षित लेखा एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, और

(ii) 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट की प्रति।

भवदीय

हस्ता./–
(संदीप वर्मा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः मुम्बई

अध्यक्ष का संदेश

मुझे यह प्रतिवेदित करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सीजीटीएमएसई ने ऋण दात्री संस्थाओं के माध्यम से एमएसई उद्यमियों तक ऋण की पहुँच को सुगमित करते हुए अपनी समर्पित सेवा के 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। वित्त वर्ष 2020 को परिचालन वृद्धि के संदर्भ में सीजीटीएमएसई के लिए यादगार वर्ष के तौर पर याद रखा जाएगा जो योजना के अंतर्गत ₹ 2.21 लाख करोड़ की कुल ऋण रकम के लिए संचयी गारंटी स्वीकृतियों को 43 लाख से भी ज्यादा पर ले गया। वित्त वर्ष 2020 के दौरान, राशि के संदर्भ में तथा संख्या के संदर्भ में गारंटी सुरक्षा क्रमशः 52% तथा 94% बढ़ गई है, जो, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, कि यह अपने प्रारंभ से अब तक सबसे ज्यादा है।

एमएसएमई की सुरक्षा तथा वितरण की सुगमता को बड़ी संख्या में बढ़ाने के लिए, हम सीजीटीएमएसई की उत्पादन श्रृंखला में निरंतर सुधार कर रहे हैं। बीता हुआ वर्ष कोई अपवाद नहीं था और ऋण गारंटी उत्पादों में प्रमुख योजना बदलावों को अमल में लाया गया। ट्रस्ट ने परिचालन क्षमताओं को सुधारने के लिए तकनीक का फायदा उठाया जो ना केवल उसकी बढ़ी हुई व्यवसायिक मात्रा में, बल्कि उसकी वित्तीय आत्मस्थिरता में भी झलकता है। सीजीटीएमएसई इन संस्थानों द्वारा विस्तारित की गई ऋण सुविधाओं पर बढ़ती हुए गारंटी सुरक्षा प्रदान करते हुए तथा साथ–साथ बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करते हुए बैंकों को एमएसई को ज्यादा ऋण प्रदान के प्रति प्रोत्साहित करने एवं विश्वास दिलाने में कामयाब हो पाया।

हम भविष्य में भी इस विकास की गति को बरकरार रखने की आशा रखते हैं। सीजीटीएमएसई अपनी तरफ से गारंटी सुरक्षा को बढ़ाते हुए और एमएसई को संस्थागत ऋण के लिए अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करते हुए इस विकास कार्यक्रम को जारी रखने के लिए गंभीरता से प्रतिबद्ध है। एमएसई क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली गारंटी के कैनवास को विस्तृत करने के लिए अपने प्रयासों के तौर पर, सीजीटीएमएसई ने अनुसूची शहरी सहकारी बैंकों को सदस्य ऋणदात्री संस्थानों के साथ–साथ हाल के दिनों में एनबीएफसी सहित फिन–टेक एनबीएफसी तथा एसएफबी को भी शामिल किया है। यह विस्तारण उद्यमिता को अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा एमएसई को नकदी प्रवाह देगा।

मैं, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संगठन तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एमएसई क्षेत्र के लिए समर्थककारी माहौल निर्मित करने में सीजीटीएमएसई के प्रयासों में अपना कीमती, सामयिक तथा निरंतर समर्थन प्रदान किया। मैं सीजीटीएमएसई की कार्यप्रणालियों को संपन्न करने के लिए एमएलआई के साथ–साथ सीजीटीएमएसई के सभी साझेदार संस्थानों द्वारा किए गए सतत् प्रयासों एवं समर्थन के प्रति तथा उनके द्वारा विस्तारित किए गए सहयोग के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ।

सादर,

हस्ताक्षरित

मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, सीजीटीएमएसई

सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल

(06 अगस्त, 2020 को स्थिति)

श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, आईएएस, अध्यक्ष (पदेन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
प्रधान कार्यालयः ''सिडबी टावर''
15, अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, आईएएस, उपाध्यक्ष (पदेन)
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
''ए'' विंग, 7वां तल, निर्माण भवन,
मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली–110 108

श्री रजनीश कुमार, सदस्य (पदेन)
अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए),
अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड,
नरीमन पॉइंट, मुम्बई–400 021

श्री संदीप वर्मा, सदस्य सचिव
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट,
7वां तल, स्वावलम्बन भवन, सिडबी,
सी–11, जी–ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई–400 051

मुख्य विकास एवं पहलकदमियाँ

सीजीटीएमएसई

एमएलआई के तौर पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का समावेशन

उड़ान पोर्टल का शुभारंभ

एमएलआई के तौर पर आरबीआई के साथ पंजीकृत फिन–टेक एनबीएफसी का समावेशन

गारंटी सुरक्षा की उच्चतम सीमा में बकाया आधार पर बदलाव

कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए कार्यकाल में संशोधन

मुख्य विशेषताएं

पात्र गतिविधि
खुदरा व्यापार समेत विनिर्माण एवं सेवाओं की अनुमति है। शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थान, एसएचजी तथा कृषि, कवरेज के लिए अपात्र हैं।
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
₹ 200 लाख तक की ऋण सुविधा को बकाया आधार पर कवर किया जा सकता है (आरआरबी तथा चुनिंदा एफआई के लिए, ₹ 50 लाख की ऋण सुविधा पात्र है)
100 से भी ज्यादा एमएलआई
पीएसयू, निजी बैंक, आरआरबी, एफआई, विदेशी बैंक, एसएफबी, एसयूसीबी तथा एनबीएफसी शामिल हैं
ब्याज दर
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रभारित ब्याज दर, योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं।
75% – 85% सुरक्षा गारंटी
गारंटी कवरेज की सीमा 75% से 85% के बीच है। खुदरा गतिविधि के लिए 50% कवरेज है।

परिचालन झलकियाँ

01

वित्त वर्ष के दौरान
स्वीकृत गारंटियाँ
₹ **45,851** करोड़

02

राशि के संदर्भ में
कवरेज में वृद्धि
52%

03

नये उत्पादों की महत्वपूर्ण संवृद्धि –
खुदरा एवं संकर
₹ **16,103** करोड़

04

वित्त वर्ष 2020 के दौरान नये पंजीकृत हुए
23 एनबीएफसी के लिए स्वीकृत गारंटियाँ
₹ **17,349** करोड़

वित्तीय वर्ष 2020 के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ

1. सीजीटीएमएसई की समग्र निधि

2500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक समग्र निधि में एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का योगदान 4:1 के अनुपात में रहा था। समग्र निधि अब ₹ 7,500 करोड़ की हो गई है जिसमें भारत सरकार (₹ 7,000 करोड़) तथा सिडबी (₹ 500 करोड़) द्वारा योगदान किया गया है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान, ट्रस्ट ने भारत सरकार के योगदान के तौर पर ₹ 585.10 करोड़ प्राप्त किए, जो भारत सरकार तथा सिडबी द्वारा किए गए व्यक्तिगत योगदानों की कुल समग्र राशि को क्रमशः ₹ 7,000 करोड़ तथा ₹ 500 करोड़ तक ले गया। अतः, 31 मार्च 2020 तक, कुल योगदान समग्र ₹ 7,500 करोड़ था। नीचे सारणी में वर्षवार पिछले 10 वर्ष के लिए अंशदान का विवरण दिया गया है।

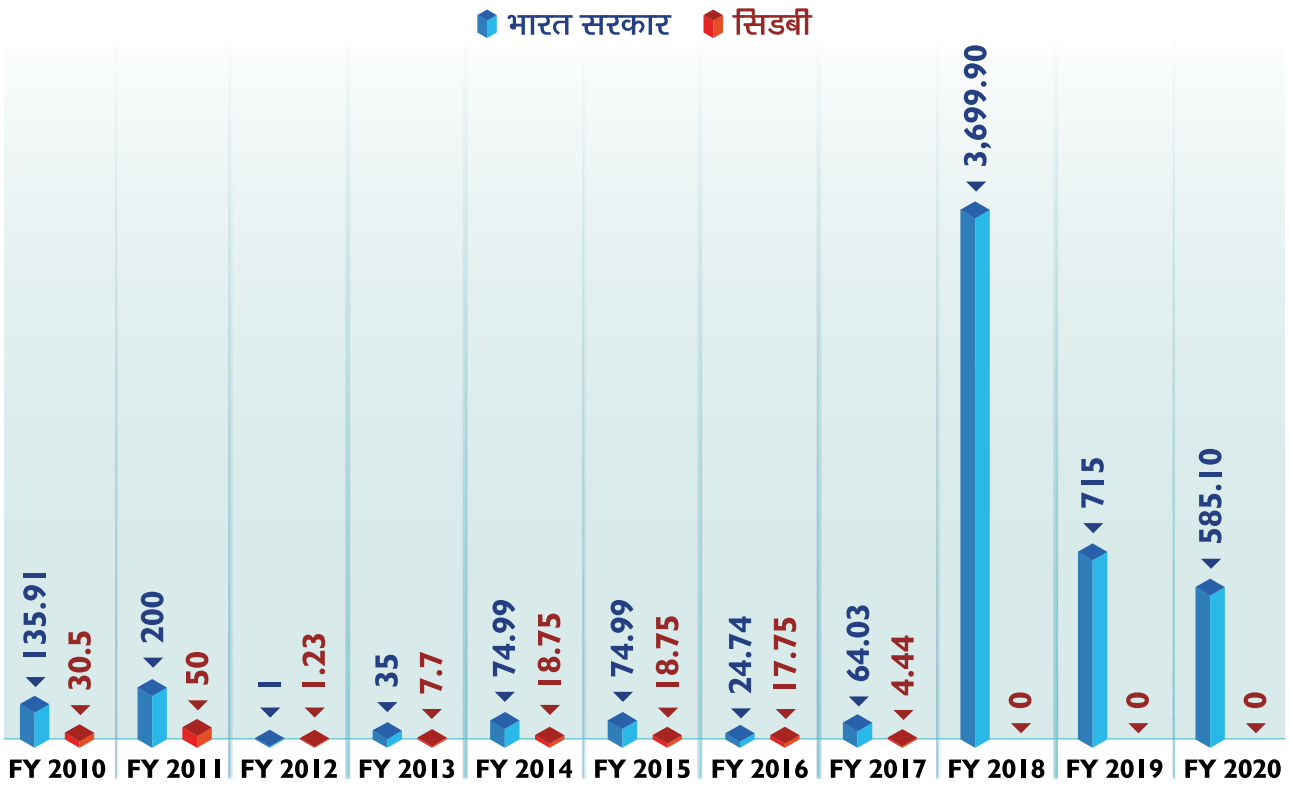

1.1 सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं (एमएलआई)

समीक्षा की अवधि के दौरान, सीजीटीएमएसई ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) के तौर पर शामिल किया। वित्त वर्ष 2013 की शुरुआत में कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के एकीकरण के परिणामस्वरुप तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलयन पर आधारित, पुनरावलोकन की अवधि के दौरान, ट्रस्ट के एमएलआई की कुल संख्या 126 है जिसमें, 19 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 20 निजी क्षेत्र के बैंक, 38 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 5 विदेशी बैंक, 9 अन्य वित्तीय संस्थान, 27 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, 3 सूक्ष्म वित्त बैंक तथा 5 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक ट्रस्ट से गारंटी कवरेज प्राप्त करने के लिए पंजीकृत एमएलआई हैं।

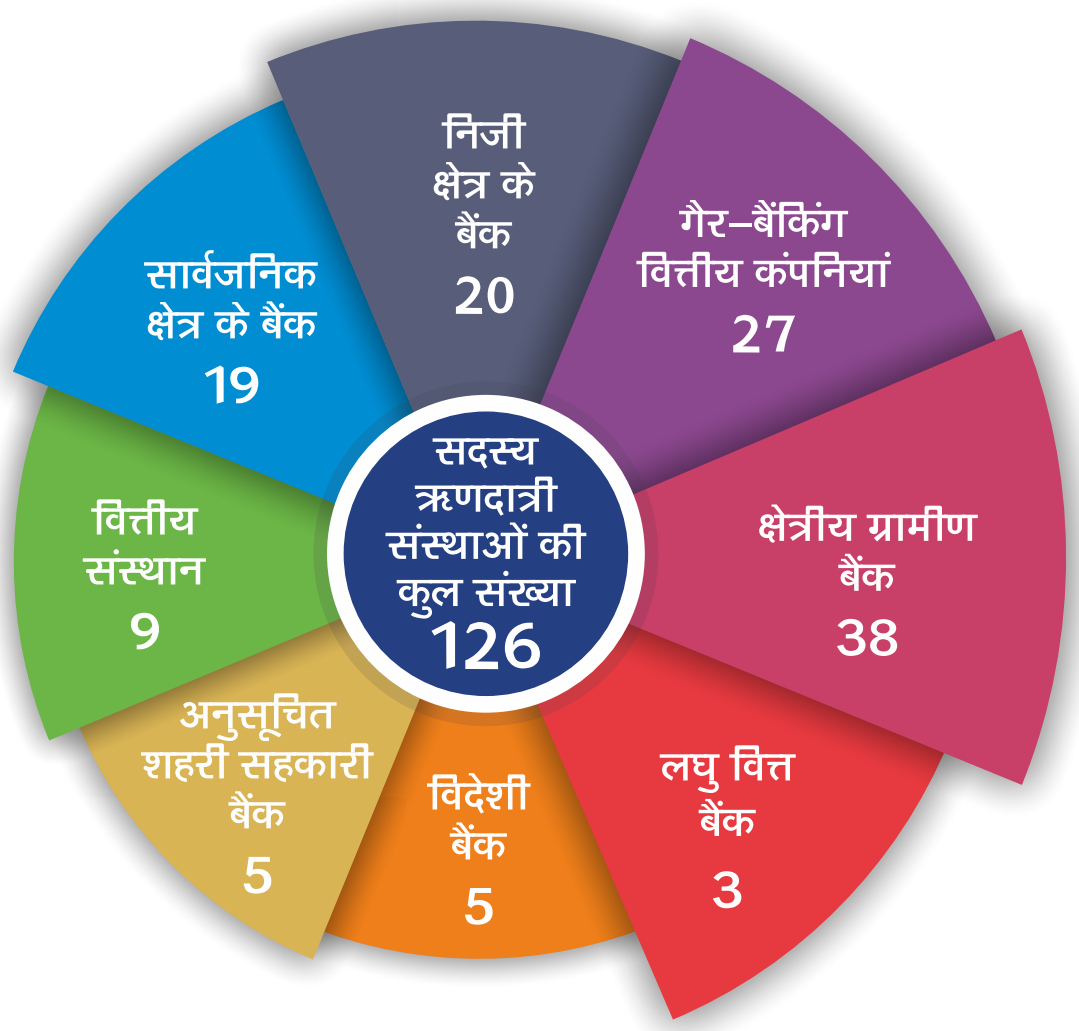

2. ऋण गारंटी योजना के तहत परिचालन

2.1 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर तथा बैंकों के विलयन को ध्यान में रखते हुए कुल 115 सक्रिय एमएलआई थे जो गारंटी सुरक्षा प्राप्त कर रहे थे। ग्राफ वार्षिक आधार पर प्रारंभ से लेकर 31 मार्च 2020 तक गारंटी अनुमोदनों को दर्शाता है।

वर्षवार अनुमोदित गारंटियों की राशि (₹ करोड़ में)

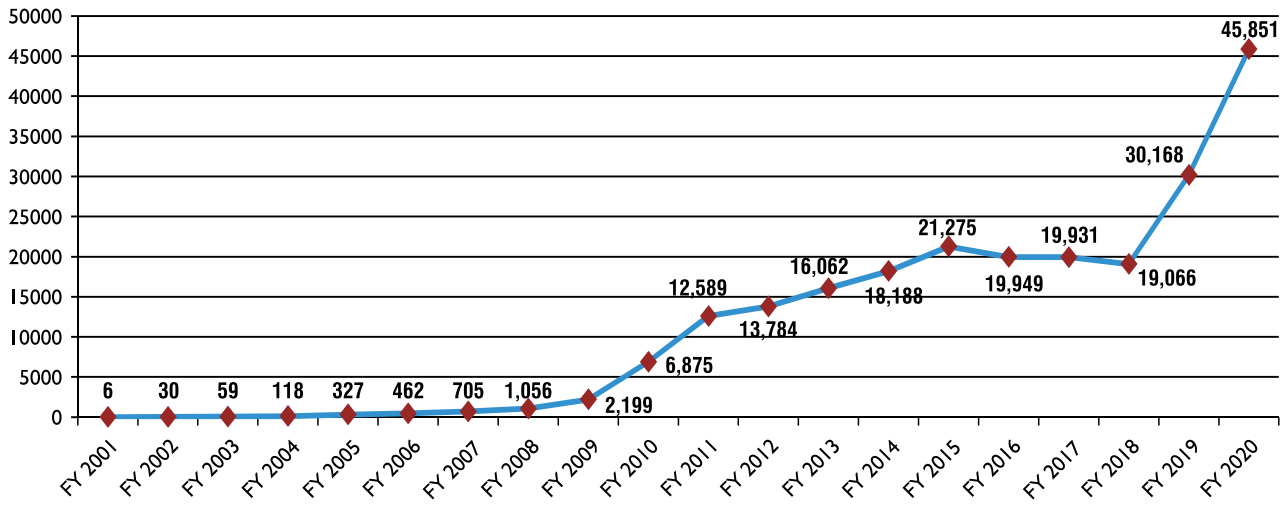

2.2 पिछले वर्ष में 30,168 करोड़ रुपये की 4,35,520 गारंटियों के अनुमोदन की तुलना में वित्त वर्ष 2020 के दौरान, 45,851 करोड़ रूपये की कुल 8,46,650 गारंटियाँ अनुमोदित की गई। संचयी रुप से, 31 मार्च 2020 को, 2,21,812 करोड़ रूपये के लिए 43,07,082 खातों को गारंटी अनुमोदित की गई। गारंटी सुरक्षा रकम की दृष्टि से 52 प्रतिशत तथा संख्या की दृष्टि से 94 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जो प्रारंभ से लेकर अब तक सबसे ज्यादा है। खुदरा व्यापार तथा संकरित सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत गारंटी सुरक्षा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के दौरान 4,641 करोड़ रुपये के लिए 93,871 गारंटियों की कवरेज की तुलना में वित्त वर्ष 2020 के दौरान, खुदरा व्यापार के अंतर्गत 14,806 करोड़ रुपये के लिए कुल 4,03,439 गारंटियाँ अनुमोदित हुई। पिछले वर्ष में 378 करोड़ रुपये के लिए 1,387 गारंटियों की तुलना में वित्त वर्ष 2020 के दौरान, संकरित सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत, 1,297 करोड़ रूपये के लिए 5,081 गारंटियाँ अनुमोदित हुई।

2.3 वित्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी द्वारा ली गई गारंटी कवर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान, सीजीटीएमएसई ने 23 एनबीएफसी (11 फिनटेक एनबीएफसी समेत) का पंजीकरण किया। राशि के संदर्भ में, एनबीएफसी ने 100 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की। पिछले वर्ष में 5,964 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2020 के दौरान 17,349 करोड़ रुपये की कुल गारंटी अनुमोदित हुई। योजना में एमएलआई तथा एमएसई दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल निरंतर संशोधन तथा सुधार के परिणामस्वरुप यह सारभूत वृद्धि प्राप्त हुई है।

2.4 पुनरावलोकन की अवधि के दौरान, सीजीटीएमएसई ने ऋणदात्री संस्थान (एमएलआई) के तौर पर 5 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को शामिल किया।

2.5 वित्त वर्ष 2020 में गारंटी कवरेज – एमएलआई की श्रेणी के अनुसार

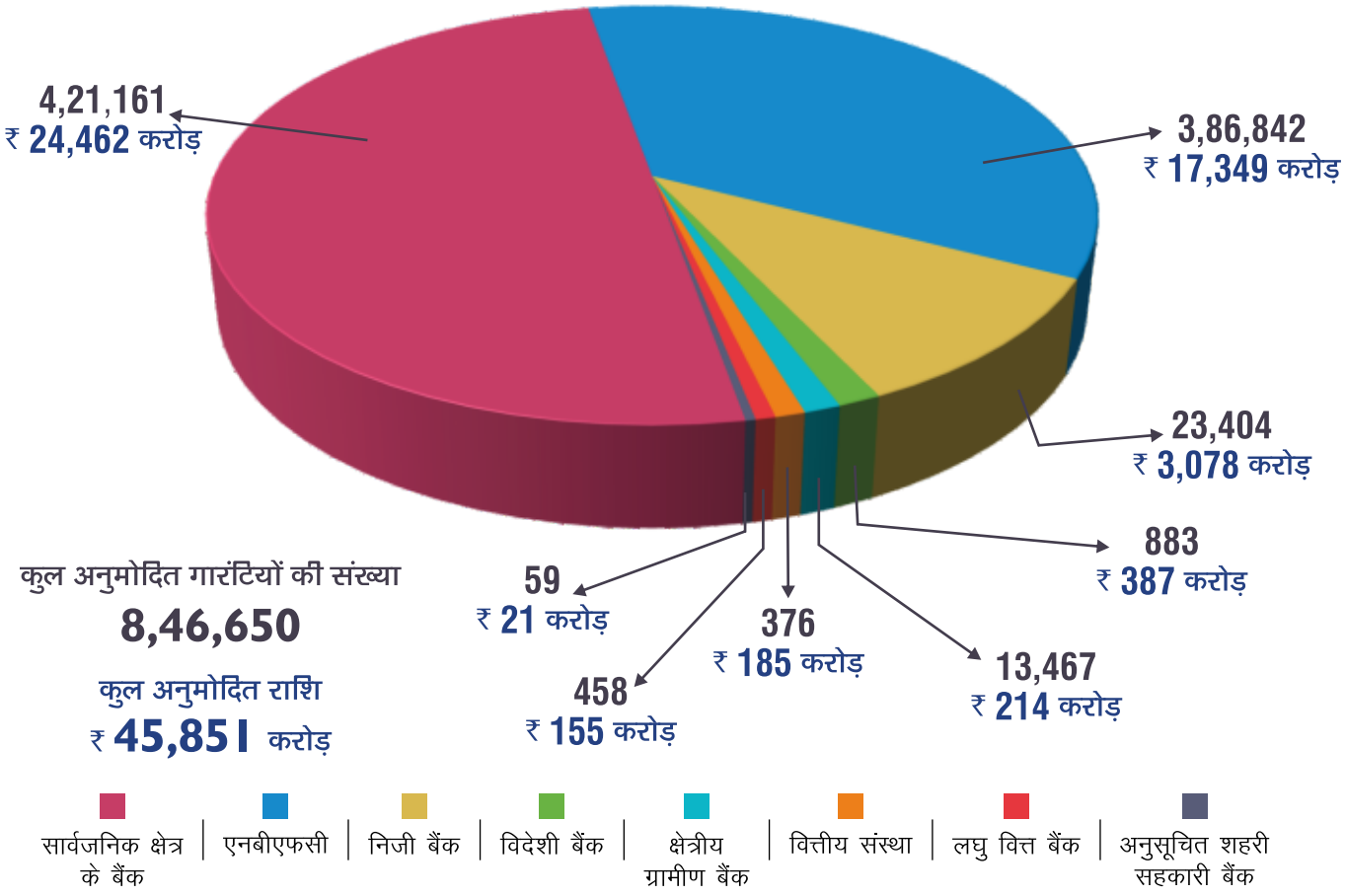

2.6 राज्य के अनुसार कवरेज

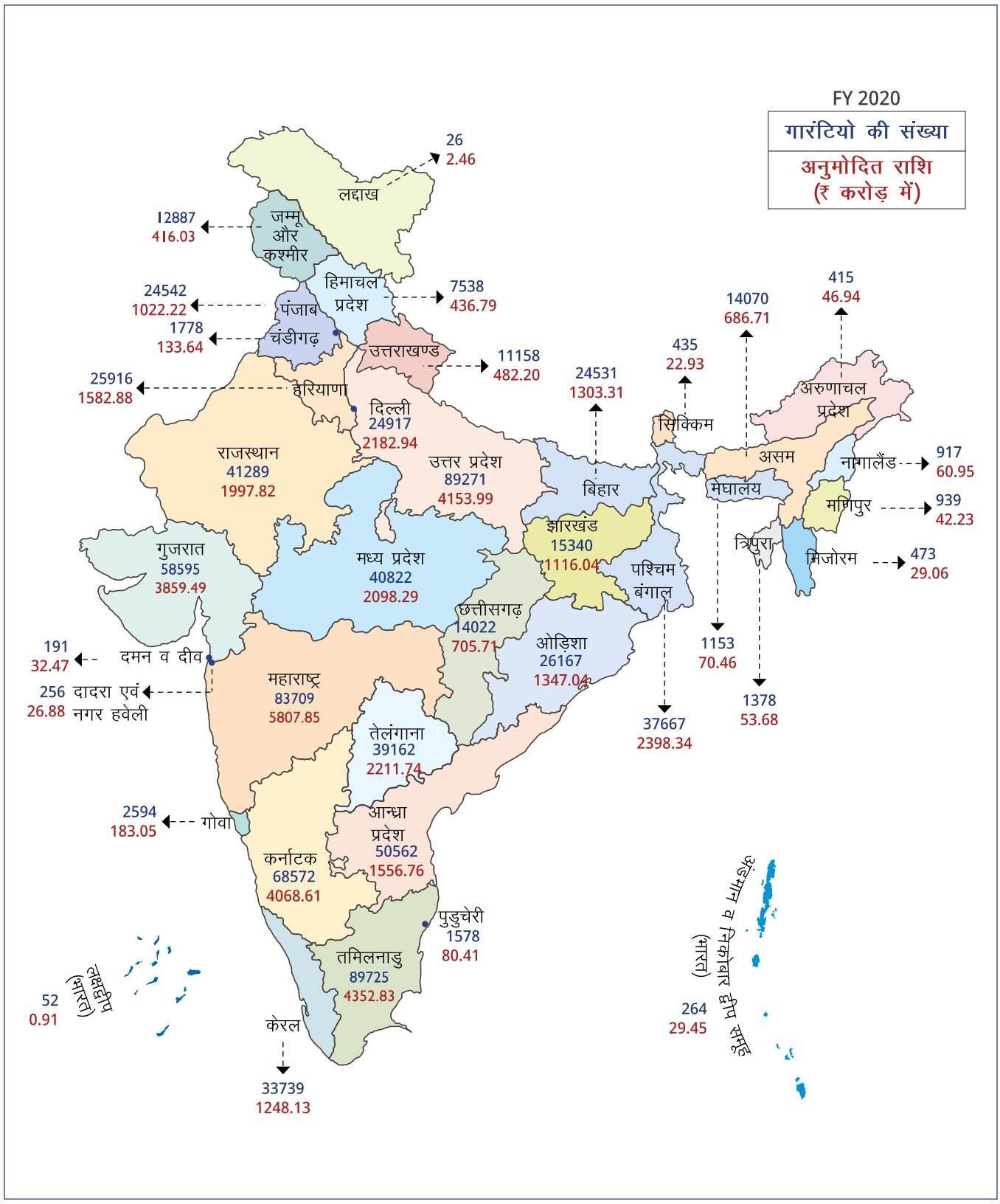

नक्शा पैमाने पर नहीं। केवल उदाहरण के लिए।

2.7 स्तरवार कवरेज

वित्त वर्ष 2020 में अनुमोदित प्रस्तावों की राशि ₹ 45,851 करोड़ है, इनमें से ₹ 21,238 करोड़ की राशि के प्रस्ताव (46 प्रतिशत) ऐसे थे जो ₹ 10 लाख तक के ऋणों से संबंधित थे, ₹ 10,662 करोड़ की राशि के प्रस्ताव (23 प्रतिशत) ऐसे थे जो ₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख तक के ऋण सुविधाओं के दायरे में हैं, ₹ 7,074 करोड़ की राशि के प्रस्ताव (16 प्रतिशत) ऐसे थे जो ₹ 25–50 लाख के दायरे में हैं, ₹ 4,445 करोड़ के प्रस्ताव (10 प्रतिशत) ₹ 50 लाख से ₹ 100 लाख के दायरे में हैं और ₹ 2,431 करोड़ की राशि के प्रस्ताव (5 प्रतिशत) ₹ 100 लाख से ₹ 200 लाख के दायरे में हैं।

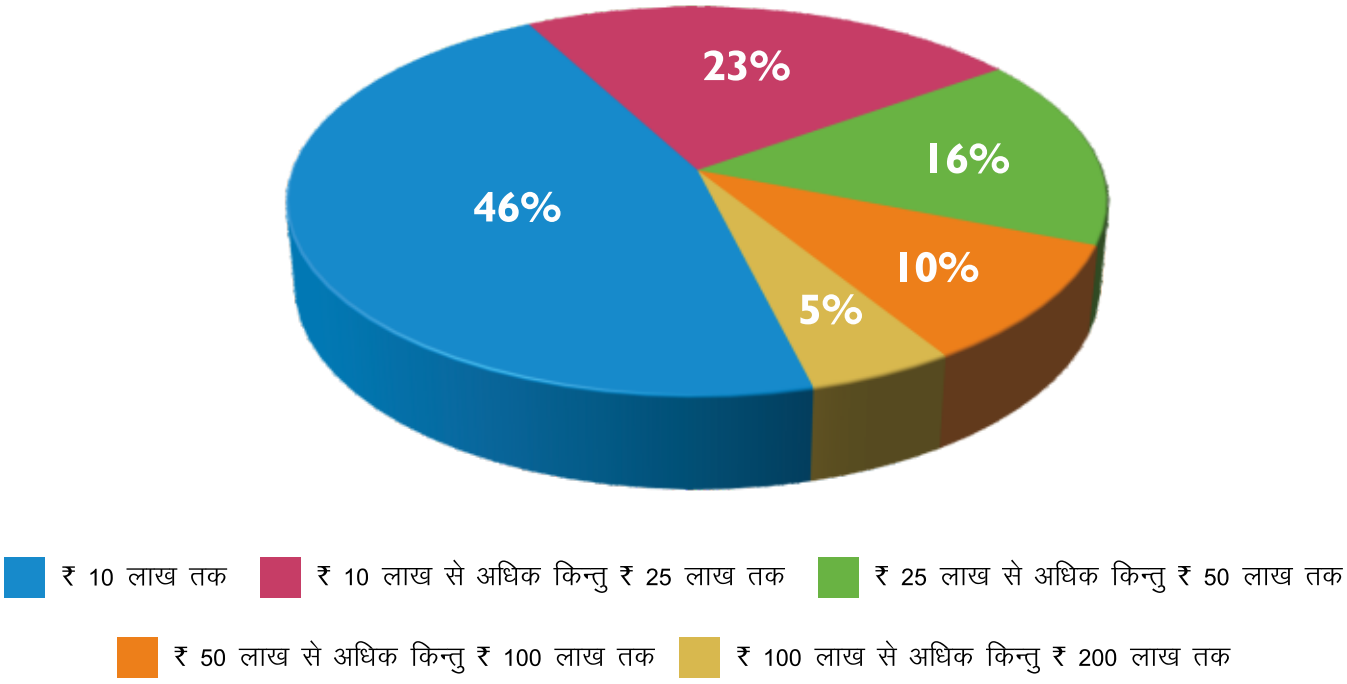

2.8 दावा निपटान

वित्त वर्ष 2020 के दौरान, सीजीएस–1 (बैंकों) के कुल दावों के संदर्भ में 43,333 खातों का निपटान 945.83 करोड़ रुपये की रकम से हुआ तथा सीजीएस–2 (एनबीएफसी) के लिए 1,865 खातों का निपटान 55.75 करोड़ रुपयों से हुआ। वित्त वर्ष 2020 के दौरान दावों की कुल संख्या 45,198 थी जिनका निपटारा 1,001.58 करोड़ रुपये से हुआ। सीजीटीएमएसई ने 31 मार्च 2020 तक संचयी रुप से कुल 2,59,860 दावों का निपटारा 6,370.04 करोड़ रुपये से किया है।

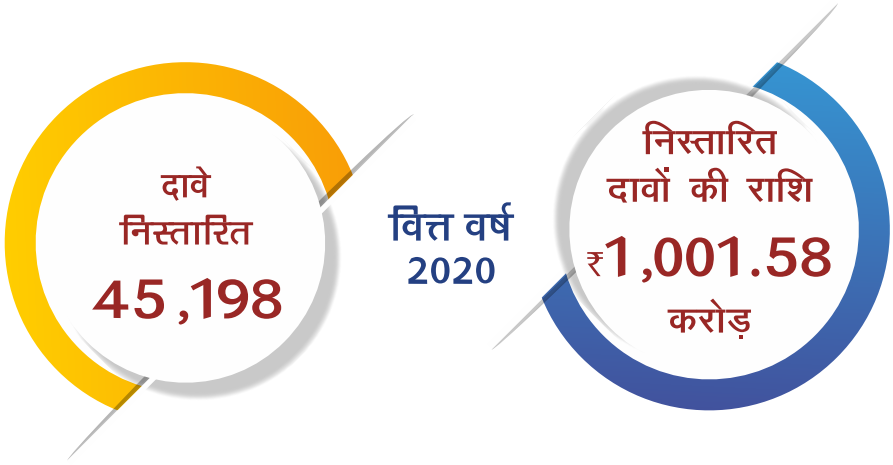

2.9 दावे के निपटारे के पश्चात् वसूली

वित्त वर्ष 2019 के दौरान प्राप्त हुए ₹ 209.62 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020 के दौरान, ट्रस्ट ने प्रथम दावा निपटान के पश्चात् एमएलआई से ₹ 198.89 करोड़ वसूली के तौर पर प्राप्त किए हैं।

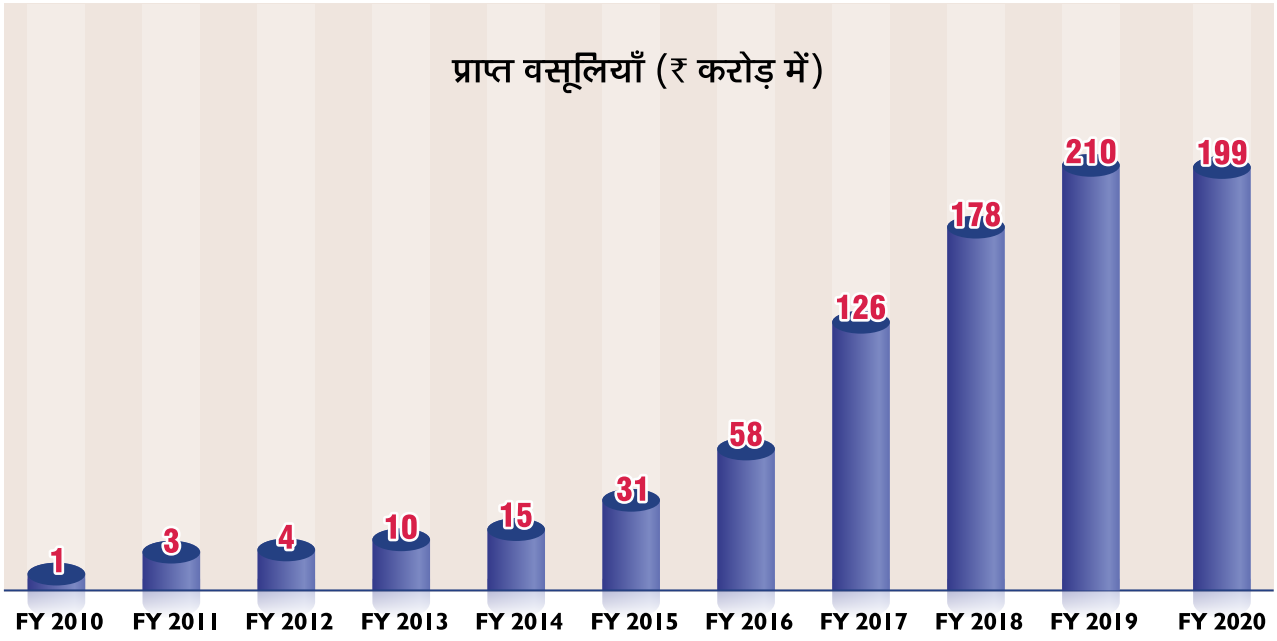

2.10 सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से निरन्तर विचार विमर्श

योजना की परिव्याप्ति को और अधिक गहन और व्यापक बनाने की दृष्टि से सीजीटीएमएसई ने अपने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के बैंक अधिकारियों के लिए सर्किल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों सहित विभिन्न स्तरों पर अनेक कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया और उसमें प्रतिभागिता की। इसका मुख्य उद्देश्य सीजीटीएमएसई की पुनरीक्षित ऋण गारंटी योजना के संबंध में सूचना का प्रचार प्रसार करना था ताकि पात्र सूक्ष्म लघु उद्यम इस योजना से लाभान्वित हो सकें। वित्त वर्ष 2020 के दौरान सीजीटीएमएसई ने 44 संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/बैंकर बैठकों में भाग लिया तथा 234 व्यवसाय विकास बैठकें आयोजित की तथा ऋण गारंटी योजना के विभिन्न पहलुओं पर बैंक अधिकारियों/सूक्ष्म उद्योगों को जागरुक करने के लिए प्रस्तुतियाँ दीं।

2.11 लेखापरीक्षक

क. मैसर्स कोचर एंड एसोसिएट्स, मुंबई, सनदी लेखाकारों की फर्म को, वित्त वर्ष 2020 के लिए, सीजीटीएमएसई के आंतरिक लेखापरीक्षकों के तौर पर नियुक्त किया गया है। लेखापरीक्षकों ने संपूर्ण प्रणालियों की व्यापक समीक्षा की, साथ ही राजस्व, व्यय, निवेश इत्यादि की भी लेखा परीक्षा की।

ख. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुशंसा के अनुसार, न्यासी मंडल ने मैसर्स जैन त्रिपाठी एंड कंपनी, मुंबई, सनदी लेखाकारों की फर्म को, वित्त वर्ष 2020 के लिए सीजीटीएमएसई का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

2.12 बहीखाता

ट्रस्ट ने ₹ 2,005.64 करोड़ की सकल आय उपार्जित की है, जिसमें मुख्यतः नवीन गारंटियों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क (₹ 403.44 करोड़) तथा मौजूदा गारंटियों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क (₹ 558.69 करोड़), निवेशों से आय (₹ 841.65 करोड़) तथा एमएलआई से वसूलियाँ (₹ 198.89 करोड़) सम्मिलित हैं। ट्रस्ट ने विभिन्न परिचालन एवं प्रशासनिक व्ययों के प्रति ₹ 8.43 करोड़ खर्च किए हैं। वित्त वर्ष 2009 से वार्षिक प्रावधान ट्रस्ट की देयता

की बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2020 के लिए प्रावधान की जानकारी नीचे दी गई है :

विवरण	रकम (करोड़)
1 अप्रैल, 2019 को अथशेष	2,936.52
घटाएं : वर्ष के दौरान दावे का भुगतान	1,001.37
जोडें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1,912.23
31 मार्च, 2020 को इतिशेष	3,847.38

31 मार्च 2020 को, अनुमानित संचयी प्रावधान ₹ 3,847.38 करोड़ है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दावों के प्रावधान के पश्चात् व्यय की तुलना में आय की अधिकता ₹ 84.78 करोड़ थी।

वित्त वर्ष 2020 के दौरान, ट्रस्ट ने भारत सरकार से ₹ 858.10 करोड़ का समूह निधि अंशदान प्राप्त किया। इसे पहले से प्राप्त निधि अंशदान तथा ट्रस्ट द्वारा अब तक उपार्जित निवल आय समेत, बैंकों/संस्थानों की सावधि जमा तथा म्यूचुअल फंड में निवेशित किया गया। 31 मार्च 2020 को समूह निधि का आकार ₹ 7,500 करोड़ था। पिछले वर्ष के समापन पर ₹ 10,517.31 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2020 को कुल पूंजी ₹ 12,848.15 करोड़ (निवल उपचित ब्याज सहित) थी।

2.13 प्रबंधन एवं संगठन

वित्त वर्ष 2020 के दौरान, न्यासी मंडल में पदेन अध्यक्ष के तौर पर सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार, पदेन उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य के तौर पर भारतीय बैंक संगठन (आईबीए) तथा सदस्य सचिव के तौर पर सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल थे। वित्त वर्ष 2020 के दौरान, न्यासी मंडलों की तीन बैठकों (परीचालन प्रस्ताव के माध्यम से एक बैठक समेत) का आयोजन हुआ। 31 मार्च 2020 को सिडबी से मुख्य कार्य अधिकारी सहित चार अधिकारी सिडबी से सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे।

सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल डीसी (एमएसएमई) कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, आरबीआई, आईबीए, सीजीटीएमएसई के एमएलआई, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थानों तथा एमएसई औद्योगिक संगठनों से प्राप्त सहायता एवं सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है।

वित्तीय विवरण

जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
मुख्यालयः 204–बी, रूबी अपार्टमेंट्स, सर एम.वी. मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई–400069
फोन नं. 022–26830868 मोबाइल 09321028751 / 9869217845 ई–मेल admin@jaintripathi.com

सेवा मे
न्यासी मंडल
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
मुम्बई

1. हमने 31 मार्च, 2020 की यथास्थिति अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते और नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी न्यासी प्रबंधन की है। हमारा दायित्व यह है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अभिमत व्यक्त करें।

2. भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार हमने लेखापरीक्षा निष्पादित की है । उन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के तथ्यगत मिथ्याकथनों से मुक्त होने के विषय में समुचित रूप से आश्वस्त हुआ जा सकें। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, वित्तीय विवरणों की घोषणाओं और धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों को शामिल किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत लेखांकन सिद्धांतों और किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ–साथ समग्र वित्तीय प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा लेखाओं का युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. हम निम्नानुसार सूचित करते हैं किः

   क. हमने वे सभी जरूरी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

   ख. हमारा अभिमत है कि लेखा बहियों की हमने जो जांच की है, उससे यह प्रतीत होता है कि ट्रस्ट ने कानूनन अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का रखरखाव किया है।

   ग. इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय एवं व्यय खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण का उल्लेख किया गया है, वह लेखा बहियों के अनुरूप है।

   घ. हमारी राय में वित्तीय विवरणों और उनके साथ पठित टिप्पणियां भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करती हैं।

      i) तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च, 2020 को ट्रस्ट के कामकाज के मामले में

      ii) आय एवं व्यय लेखाओं के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के अधिशेष के बारे में।

      iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के नकदी प्रवाह के बारे में।

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 103979डब्ल्यू

हस्ता./–
डी.पी. त्रिपाठी
साझेदार
एम. नं. 013593

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 06 / 08 / 2020

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2020 की स्थिति का
तुलन–पत्र

विवरण	अनुसूचियां	यथा 31.03.2020 को		यथा 31.03.2019 को	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
निधियों का स्रोत					
समूह निधि	1		86,82,23,05,718		80,12,35,25,329
सामान्य आरक्षितियां	2		74,20,662		74,20,662
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3		49,88,02,87,148		33,00,86,77,684
कुल			**1,36,71,00,13,528**		**1,13,13,96,23,675**
निधियों का अनुप्रयोग					
स्थायी परिसम्पत्तियां					
कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर		2,98,65,045		2,85,69,407	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		2,34,67,099	63,97,946	2,17,41,772	68,27,635
फर्नीचर एवं फिक्चर		10,31,191		11,85,682	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		4,92,025	5,39,166	4,42,832	7,42,850
मोटर कार		12,66,029		12,66,029	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		8,66,623	3,99,406	7,16,282	5,49,747
बिजली के उपकरण		9,86,592		9,86,592	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		5,17,932	4,68,660	4,24,432	5,62,160
			78,05,178		**86,82,392**
निवेश	4		**1,32,44,33,74,825**		**1,10,00,09,63,081**
चालू परिसम्पत्तियां					
रोकड़ शेष			4,716		1,461
बैंक में शेष राशि	5		48,54,09,531		7,32,33,411
प्राप्त राशियां	6		16,10,44,550		15,85,05,409
कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य रकम	7		3,61,23,74,728		2,89,82,37,921
कुल			**1,36,71,00,13,528**		**1,13,13,96,23,675**
लेखे से सम्बद्ध टिप्पणियां	9		–		–

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू

हस्ता./–
(डी.पी. त्रिपाठी)
साझेदार
सदस्यता सं. 013593

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 06/08/2020

उक्त तुलनपत्र और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता./–
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(देवेन्द्र कुमार सिंह, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

हस्ता./–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनुसूचियाँ	राशि (₹)	
		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
आय			
निवेश पर ब्याज		8,29,99,48,042	6,88,55,43,318
म्युचुअल फंड से आय		11,65,53,875	13,79,18,313
गारंटी शुल्क		4,03,44,36,882	2,07,79,96,524
वार्षिक गारंटी शुल्क		5,56,26,84,047	5,08,68,55,149
वार्षिक सेवा शुल्क		2,42,17,690	9,63,48,288
विविध आय		1,73,802	16,23,716
दंडात्मक ब्याज से आय		6,40,018	25,20,710
भुगतान किये गये दावे खाते पर एमएलआई से वसूलियां		1,98,89,26,944	2,09,62,93,289
आयकर वापसी पर ब्याज		2,88,47,115	62,46,68,697
		20,05,64,28,415	**17,00,97,68,004**
व्यय			
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय	**8**	8,42,63,063	9,78,55,510
गारंटी दावों के लिए प्रावधान		19,12,23,00,000	16,07,58,00,000
बैंक प्रभार		11,899	14,301
मूल्यह्रास		20,73,064	23,26,719
		19,20,86,48,026	**16,17,59,96,530**
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य		**84,77,80,389**	**83,37,71,474**
जोड़ें/(घटाएं): पूववर्ती अवधि की मदें		.	.
कर से पूर्व अधिशेष		**84,77,80,389**	**83,37,71,474**
जोड़ें: आयकर प्रावधान पुनरांकित		.	.
घटाएं: आयकर हेतु प्रावधान		.	.
कर पश्चात अधिशेष		**84,77,80,389**	**83,37,71,474**
घटाएं: सामान्य आरक्षिती को अंतरण		.	.
व्यय की तुलना में आय के अधिशेष को समूह निधि में शामिल किया गया		**84,77,80,389**	**83,37,71,474**
खातों से सम्बद्ध टिप्पणियां	**9**		

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू

हस्ता./–
(डी.पी. त्रिपाठी)
साझेदार
सदस्यता सं. 013593

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 06/08/2020

उक्त तुलनपत्र और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता./–
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(देवेन्द्र कुमार सिंह, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

हस्ता./–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

नकदी प्रवाह विवरण

	विवरण	31 मार्च 2020 (₹)		31 मार्च 2019 (₹)	
	परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	आय एवं व्यय विवरणी के अनुसार, कर–पश्चात व्यय पर आय का आधिक्य		**84,77,80,389**		**83,37,71,474**
जोड़ें:	आय एवं व्यय खातों में नामे मूल्यह्रास	20,73,064		23,26,719	
	आय एवं व्यय खातों में नामें गारंटी दावों के संबंध में प्रावधान	19,12,23,00,000		16,07,58,00,000	
घटाएँ:	निवेश पर ब्याज	(8,29,99,48,042)		(6,88,55,43,318)	
घटाएँ:	आयकर वापसी पर ब्याज	(2,88,47,115)		(62,46,68,697)	
घटाएँ:	म्युचुअल फंड से आय	(11,65,53,875)		(13,79,18,313)	
			10,67,90,24,032		**8,42,99,96,391**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व नकदी प्रवाह		**11,52,68,04,421**		**9,26,37,67,865**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
	प्राप्त राशियों में (वृद्धि)/कमी	(25,39,141)		18,82,92,114	
	अन्य मदों में (वृद्धि)/कमी	.		70,20,000	
	कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य राशि में (वृद्धि)/कमी	11,58,49,352		2,35,32,45,280	
	वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी	7,76,29,96,857		1,52,21,55,420	
			7,87,63,07,068		**4,07,07,12,814**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पश्चात नकदी प्रवाह में परिवर्तन		**19,40,31,11,489**		**13,33,44,80,679**
घटाएँ:					
	वर्ष के दौरान निपटाए गये दावे	(10,01,36,87,393)		(8,16,55,55,066)	
	कर की अग्रिम अदायगी	(82,99,86,159)		(69,06,66,009)	
			(10,84,36,73,552)		**(8,85,62,21,075)**
	परिचालन कार्यकलापों से उत्पन्न/(प्रयुक्त) नकदी प्रवाह (क)		**8,55,94,37,937**		**4,47,82,59,604**
	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
	वर्ष के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों का (अधिग्रहण)/निपटान	(11,95,850)		3,11,329	
	वर्ष के दौरान निवेश में अनुवृद्धि	(22,44,24,11,744)		(19,29,74,39,557)	

	विवरण	31 मार्च 2020 (₹)		31 मार्च 2019 (₹)	
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह (ख)		**(22,44,36,07,594)**		**(19,29,71,28,228)**
	वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न नकदी प्रवाह				
	वर्ष के दौरान समूह निधि में की गई वृद्धि	5,85,10,00,000		7,15,00,00,000	
	म्युचुअल फंडों पर ब्याज आय	11,65,53,875		13,79,18,313	
	प्राप्त आयकर पर ब्याज आय	2,88,47,115		62,46,68,697	
	सावधि जमा पर ब्याज आय	8,29,99,48,042		6,88,55,43,318	
	वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (ग)		14,29,63,49,032		14,79,81,30,328
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में हुई निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)		**41,21,79,375**		**(2,07,38,296)**
	नकद एवं नकद समतुल्य का आरंभिक शेष		7,32,34,872		9,39,73,168
	नकद एवं नकद समतुल्य का अंतिम शेष		**48,54,14,247**		**7,32,34,872**

टिप्पणियाँ:

1 नकद राशियों एवं बैंक में शेष राशियों को शामिल करते हुए नकद राशियाँ एवं नकद समतुल्य

2 कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकद राशियों के बहिर्गमन को दर्शाते हैं

3 निम्नलिखित को शामिल करते हुए 31 मार्च 2020 को नकद राशियाँ एवं नकदी समतुल्य

	31 मार्च 2020	**31 मार्च 2019**
नकदी	4,716	1,461
बैंक में शेष	48,54,09,531	7,32,33,411
कुल	**48,54,14,247**	**7,32,34,872**

4 आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों का समूहन किया गया है।

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू

हस्ता./–
(डी.पी. त्रिपाठी, सदस्यता सं. 013593)
साझेदार

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता./–
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(देवेन्द्र कुमार सिंह, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

हस्ता./–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 06/08/2020

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

तुलनपत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

विवरण		यथा 31.03.2020 (₹)	यथा 31.03.2019 (₹)
अनुसूची: 1			
समूह निधि			
निम्नलिखित से प्राप्त			
भारत सरकार		70,00,00,33,000	64,14,90,33,000
सिडबी		5,00,00,00,000	5,00,00,00,000
(आरएसएफ एवं आरएसएफ की समूह निधि क्रमशः 1 और 2 ₹ 25,00,00,000/– एवं ₹ 7,77,50,000/– सहित)			
	(क)	**75,00,00,33,000**	**69,14,90,33,000**
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष			
अग्रेषित शेष		10,97,44,92,329	10,14,07,20,855
जोड़ें: वर्तमान वर्ष का अधिशेष		84,77,80,389	83,37,71,474
	(ख)	**11,82,22,72,718**	**10,97,44,92,329**
	(क+ख)	**86,82,23,05,718**	**80,12,35,25,329**
अनुसूची: 2			
सामान्य आरक्षितियां			
अग्रेषित शेष		74,20,662	74,20,662
जोड़ें: आय और व्यय खाते से अंतरित		–	–
		74,20,662	**74,20,662**
अनुसूची: 3			
चालू देयताएँ और प्रावधान			
गारंटी दावों के लिए प्रावधान (अनुसूची 9 की टिप्पणी सं. 7 भी देखिए)		38,47,38,05,854	29,36,51,93,247
व्यय के प्रति बकाया देयताएँ		1,14,64,552	87,87,367
देय गारंटी दावे		8,55,33,902	14,86,626
देय टीडीएस		14,99,333	11,63,967
देय व्यवसायिक कर		2,400	2,000
लौटाए जाने योग्य गारंटी शुल्क		44,77,279	22,73,569
लौटाए जाने योग्य वार्षिक सेवा/गारंटी शुल्क		72,31,850	37,21,946
डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा) भारत सरकार से जीएफ व एएसएफ के लिए प्राप्त अग्रिम		23,38,301	23,38,301
गारंटी शुल्क के प्रति प्राप्त अग्रिम		3,18,70,65,101	1,63,51,45,465
देय वस्तु एवं सेवाएँ कर		1,25,50,99,852	34,71,00,800
जीएफ विनियोजन खाता		7,59,820	7,59,819
एएसएफ विनियोजन खाता		21,96,629	10,12,196
वार्षिक गारंटी नवीकरण शुल्क के प्रति प्राप्त अग्रिम		6,84,62,01,275	1,63,96,92,381
संविदा के लिए ईएमडी		26,11,000	–
		49,88,02,87,148	**33,00,86,77,684**

विवरण	यथा 31.03.2020 (₹)	यथा 31.03.2019 (₹)
अनुसूचीः 4		
निवेश		
1) बैंकों के सावधि जमा में निवेश		
i) डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा), भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम का निवेश	23,29,459	23,30,859
ii) समूह निधि एवं अन्य निधियों का निवेश	1,30,04,38,58,845	1,08,85,44,44,869
2) म्यूचुअल फ़ंड में निवेश	2,39,71,86,521	1,14,41,87,353
(म्यूचुअल फ़ंड में निवेशों का बाजार मूल्यः ₹ 240,44,80,913)		
	1,32,44,33,74,825	**1,10,00,09,63,081**
अनुसूचीः 5		
बैंक में जमा शेष		
चालू खाते		
आईडीबीआई बैंक लि .,	7,31,78,237	1,14,20,795
आईडीबीआई बैंक लि., – डीसी (हस्तशिल्प), भारत सरकार	13,299	13,299
आईडीबीआई बैंक लि., – डीसी (हस्तकरघा), भारत सरकार	3	3
कार्पोरेशन बैंक	41,18,77,537	65,58,632
भारतीय स्टेट बैंक	3,40,455	5,52,40,682
	48,54,09,531	**7,32,33,411**
अनुसूचीः 6		
प्राप्तियाँ		
पूर्वप्रदत्त व्यय	1,89,510	3,25,655
प्राप्य शुल्क	21,87,242	14,03,792
इनपुट कर जमा	30,35,421	10,22,086
सेवा कर (ईसी/एसएचसीई)	31,36,145	31,36,145
वसूली योग्य सेवा कर	15,24,96,232	15,26,17,731
	16,10,44,550	**15,85,05,409**
अनुसूचीः 7		
कर प्राधिकरणों से प्राप्य राशि		
वापसी योग्य आयकर 31/3/10	39,86,08,031	39,86,08,031
वापसी योग्य आयकर 31/3/11	12,13,84,436	8,99,51,264
वापसी योग्य आयकर 31/3/12	1,38,88,000	1,38,88,000
वापसी योग्य आयकर 31/3/13	13,25,69,729	13,25,69,729
वापसी योग्य आयकर 31/3/15	43,95,61,396	43,95,61,396
वापसी योग्य आयकर 31/3/16	–	20,61,75,313
वापसी योग्य आयकर 31/3/17	41,68,81,816	41,69,70,680
वापसी योग्य आयकर 31/3/18	50,98,47,499	50,98,47,499
वापसी योग्य आयकर 31/3/19	68,98,86,766	69,06,66,009
प्रदत्त टीडीएस 31/3/2020	82,99,86,159	–
सेवा कर मांग के सापेक्ष पूर्व–जमा	5,97,60,896	–
कर प्राधिकरणों से प्राप्य राशि	**3,61,23,74,728**	**2,89,82,37,921**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

आय एवं व्यय के भाग के रुप में अनुसूचियां

विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	विगत वर्ष (₹)
अनुसूचीः 8		
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय		
एसीएसआईसी व्यय	–	51,79,892
विज्ञापन और प्रचार व्यय	7,20,184	15,70,529
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	3,35,000	3,35,000
आवागमन और वाहन पर व्यय	2,14,122	5,23,026
कूरियर/डाक प्रभार	25,852	36,878
बिजली संबंधी व्यय	–	1,93,300
बीमा प्रभार	27,957	60,874
आंतरिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	2,80,000	2,80,000
आई टी सेवा	1,90,90,365	2,13,28,000
सदस्यता शुल्क	2,50,000	–
विविध व्यय	10,69,519	12,42,829
कार्यालय व्यय	10,03,929	10,40,771
कार्यालय का किराया	90,12,120	1,56,70,580
कार्मिकों पर लागत और व्यय	4,27,95,187	4,50,47,443
मुद्रण और लेखन–सामग्री	7,37,133	4,41,240
अधिवक्ता शुल्क	55,000	1,40,176
व्यवसायिक शुल्क	83,14,340	37,10,084
सुरक्षा व्यय	–	55,454
दूरभाष व्यय	36,397	83,654
यात्रा संबंधी व्यय	2,95,958	9,15,780
	8,42,63,063	**9,78,55,510**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

आय और व्यय के भाग के रुप में अनुसूचियाँ

विवरण	यथा 31.03.2020 (₹)	यथा 31.03.2019 (₹)
सूची 1: कार्मिक व्यय		
कर्मचारियों (सिडबी) को वेतन और भत्ते	2,10,94,580	2,87,28,058
संविदा कर्मचारियों को वेतन और भत्ते	2,04,58,435	1,51,32,806
कूपन खर्च (सोडेक्सो)	12,42,172	11,86,579
	4,27,95,187	**4,50,47,443**
सूची 2: विविध व्यय		
ब्याज का भुगतान	1,000	3,000
अपील शुल्क	83,646	1,39,940
अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	70,846	2,21,722
स्टाफ कल्याण	91,092	28,846
विविध व्यय	8,22,935	8,49,321
	10,69,519	**12,42,829**
सूची 3: मुद्रण और स्टेशनरी		
मुद्रण खर्च	5,70,234	2,05,960
स्टेशनरी और कंप्यूटर उपभोग्य सूची	1,66,899	2,35,280
	7,37,133	**4,41,240**
सूची 4: विविध आय		
विविध प्राप्तियां	71,735	50,196
विविध आय	27,836	20,377
पंजीकरण, निविदा और खोज शुल्क	74,231	15,53,143
	1,73,802	**16,23,716**
सूची–5: व्यय के प्रति बकाया देयताएं		
अग्रवाल एंड फ्रेंड्स कंपनी	–	69,447
ए.पी. सैंजगिरी एंड कंपनी	–	32,817
भारती एयरटेल एंड कंपनी	–	1,97,100
बी रतन एंड एसोसिएट्स	–	8,776
चतुर्वेदी एंड कंपनी	–	30,145
चेतन टी शाह एंड कंपनी	1,35,000	1,53,363
कॉन्चेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	–	10,800
सीवीएस बालचंद्र राव एंड कंपनी	–	8,777
ग्लोबलकॉम आईडीसी लिमिटेड	13,07,082	8,90,852
जैन त्रिपाठी एंड कंपनी	3,01,500	3,01,500

विवरण	यथा 31.03.2020 (₹)	यथा 31.03.2019 (₹)
जेसीआर एंड कंपनी	–	13,737
खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	4,05,000	4,05,000
कीर्ति स्टेशनरी एंड प्रिंटर्स	–	36,178
कोचर एंड एसोसिएट्स	63,000	63,000
के. एस. सांघवी एंड कंपनी	4,500	4,500
क्योसेरा दस्तावेज साल्यूशन इंण्डिया प्रा. लि	–	2,387
एम एम निसिम एंड कंपनी	24,803	24,803
ओरिएंट टेक्नोलॉजीज	–	1,58,127
पाथ इंफोटेक	29,50,224	29,21,051
रिलायंस कम्युनीकेशंस लिमिटेड	3,91,811	2,83,811
श्यामलाल दाधीच एंड एसोसिएट्स	3,06,045	2,35,811
सिडबी	45,97,013	21,88,028
एस. के. बसु एंड कंपनी	–	23,850
सुमत गुप्ता एंड कंपनी	–	19,461
द प्रोफेशनल कूरियर	–	1,237
टी एंड एम सर्विसेज कॉन प्राइवेट लि.	8,65,931	6,39,094
बकाया देनदारियां	60,727	63,715
वाईस्अेक सिस्टम्स टेक प्रा. लि.	51,916	–
	1,14,64,552	**87,87,367**

तुलन–पत्र एवं आय और व्यय खाते की अनुसूची

अनुसूची : 9 लेखा टिप्पणियाँ :

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क) लेखांकन व्यवहार

ऐतिहासिक लागत लेखांकन विधि सहित सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरणियाँ तैयार की गई हैं।

ख) आय और व्यय का निर्धारण

ट्रस्ट, लेखांकन में व्यापारिक आधार का अनुपालन करता है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। ट्रस्ट की आय के प्रमुख स्रोतों का निर्धारण इस प्रकार है :

गारंटी शुल्क

संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से भुगतान प्राप्त होने और बैंक खाते में जमा होने के पश्चात ही इसे गारंटी शुल्क से आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

मियादी जमा राशियों पर ब्याज आय

मियादी जमा राशियों पर ब्याज आय का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है।

भुगतान किये गये दावों में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से वसूली

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से की गई वसूली पर आय को तब मान्यता दी जाती है, जब राशि की वसूली हो जाती है।

म्युचुअल फंड से आय

म्युचुअल फंड की यूनिटों के मोचन के समय पूंजीगत लाभ के परिकलन के प्रयोजन से म्युचुअल फंड की लागत की गणना भारित औसत आधार पर की जाती है।लाभ का निर्धारण मोचन पर किया जाता है।

ग) अचल परिसंपत्तियां

वित्तीय विवरणियों में अचल परिसम्पत्तियों का निर्धारण लागत पर किया गया है। लागत में खरीद, भाड़ा, परिवहन और उसे वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने पर हुई अन्य लागत शामिल हैं। अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित किये गये अनुसार अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार प्रभारित किया गया है।

घ) निवेश

न्यास के निवेशों में बैंकों/वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा और म्युचुअल फंड में निवेश शामिल है। म्युचुअल फंड में निवेश भारित औसत लागत में से वर्ष के दौरान हुई हानि, यदि कोई हो, को घटा कर या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर वर्णित की गई है।मियादी जमा राशियों में निवेश, अपने लागत तथा उस पर उपचित ब्याज के साथ वर्णित है। विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार के कार्यालयों से प्राप्त निधियों में निवेश तुलनपत्र में अलग से दर्शाए गए हैं।

च) सेवानिवृत्ति लाभ

इस ट्रस्ट में प्रतिनियुक्ति पर आए सिडबी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ सिडबी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे वार्षिक रूप से प्रतिपूर्ति आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

(करोड़. रु. में)

2.

विवरण	यथा 31–03–20	यथा 31–03–19
गारंटी का अनुमोदन	2,21,812	1,75,961
जारी गारंटी	1,99,106	1,75,801
स्वीकृत, गारंटी परंतु लंबित निष्पादन	22,706	160
बकाया गारंटी	99,492	74,330
बकाया गारंटी से सीजीटीएमएसई की समग्र देयता	72,986	55,526
प्रथम दावे की किस्त के प्रति सीजीटीएमएसई की देयता	54,739	41,644

ट्रस्ट द्वारा रोके गए दावों के प्रति किए गए प्रावधान के अलावा एमएसई के गैर निष्पादक होने की स्थिति में उसके प्रति दी गई गारंटी की आकस्मिकता के लिए ट्रस्ट उत्तरदायी है, जिसकी प्रतिभूति स्वरूप ऐसी गारंटी दी जाती है/मंजूर की जाती है।

3. ट्रस्ट स्टाफ और आईटी सेवाओं की सुविधाएँ सिडबी से प्राप्त कर रहा है। 4 अक्टूबर, 2001 को सिडबी और ट्रस्ट के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार जुलाई, 2009 तक ट्रस्ट के कार्यों के लिए सिडबी द्वारा सीधे किए गए प्रशासनिक व्यय के लिए ट्रस्ट ने 20 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया है।यद्यपि, आपसी निर्णय के अनुसार अगस्त 2009 से इसे बंद कर दिया गया है।

4. ट्रस्ट पहली बार में दावा राशि का 75% भुगतान करता है,वसूली की कार्यवाही के समापन के बाद शेष 25% राशि का भुगतान किया जाता है। कुल 3,324 मामलों (गत वर्ष में 2,596 मामलों) के लिए शेष 25% राशि ₹ 62.55 करोड़ (गत वर्ष में ₹ 58.38 करोड़) का भुगतान किया गया। तथापि, अन्य मामलों में, सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को अभी तक वसूली कार्यवाही के निष्कर्ष की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देना बाकी है, जिससे वे शेष रकम प्राप्त करने के लिए पात्र बनते हैं। इसके अलावा, परिपत्र संख्या–138/2017–18 के माध्यम से, ट्रस्ट ने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा विप्रेषित शुल्क और वसूली के आधार पर कुल दावा निपटान (यानी दावे की पहली और दूसरी किस्तों का निपटान) के लिए अंतिम सीमा शुरू की है। संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के दावों का निपटारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विप्रेषित वसूली सहित शुल्क के दोगुने राशि तक किया जाएगा।

5. लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक ₹ 3,35,000/–(गत वर्ष में ₹ 3,35,000/–) है। शुल्क में कर शामिल नहीं है।

(रु. में राशि)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क	2,75,000	2,75,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क	60,000	60,000
कुल	**3,35,000**	**3,35,000**

6. कराधान

6.1 प्रत्यक्ष कराधान

ट्रस्ट को वित्त अधिनियम 2002 द्वारा 01.04.2002 से आयकर अधिनियम, 1961 (''अधिनियम'') के तहत धारा 10(23EB) में अधिसूचित किया गया था और तदनुसार ट्रस्ट की आय को निर्धारण वर्ष 2002–03 से आरम्भ करके निर्धारण वर्ष 2006–07 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 10(23EB) के तहत छूट दी गई थी।

ट्रस्ट को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12, के तहत पंजीकृत किया गया था और तदनुसार ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2007–08 और निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा किया था। वित्त अधिनियम 2008 में 01.04.2008 अर्थात निर्धारण वर्ष 2009–2010 से धारा 2(15) में संशोधन किया था। तदनुसार, ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2009–2010 के बाद से धारा 11 के तहत लाभ का दावा नहीं किया था। तथापि, ट्रस्ट ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) के तहत 15% की कटौती का दावा किया है।

आयकर निदेशक(छूट)–डीआईटी(ई), ने दिनांक 07–12–2011 के आदेश के माध्यम से माना था कि निर्धारिती ट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधियों का स्वरूप व्यापार,वाणिज्य या व्यवसाय हैं और अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए,निर्धारण वर्ष 2009–10 से ट्रस्ट को दिए गए पंजीकरण को रद्द कर दिया। ट्रस्ट ने इस आदेश के खिलाफ आयकर अपीलकर्ता न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील की थी और 28.05.2014 के आदेश के माध्यम से ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय किया गया था और आयकर अधिनियम की धारा 12, के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण को बहाल कर दिया गया था। आईटीएटी के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग ने मुंबई स्थित उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिसे दिनांक 02.08.2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।इस प्रकार आयकर अधिनियम 12/12ए के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण जारी है।

निर्धारण,माँगों और अपीलों की स्थिति का वर्षवार विवरण इस प्रकार हैं:

क) निर्धारण वर्ष 2009–10 की निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) ने धारा 143(3) के तहत एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत 15 प्रतिशत की कटौती के दावे को रद्द कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की है और वह निपटान के लिए लंबित है। इस वर्ष के लिए कोई माँग बकाया नहीं है।

ख) निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने क्रमशः निर्धारण वर्ष 2007–08 और निर्धारण वर्ष 2008–09 के दौरान धारा 11(2) के अंतर्गत संचयी राशि के तौर पर ₹ 94,38,84,008/– और ₹ 154,61,77,037/– के संयोजन का प्रावधान किया था और ट्रस्ट के अवस्थापक नामतः एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से प्राप्त समूह निधि के प्रति ₹ 166,41,00,000/– को जोड़ा था। निर्धारण वर्ष 2009–10 से डीआईटी(ई), मुम्बई द्वारा धारा 12(ए) के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था अतः अधिनियम की धारा 11 के तहत ट्रस्ट कोई भी लाभ पाने के लिए पात्र नहीं थी । कथित संयोजन के खिलाफ, ट्रस्ट ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी जिसे दिनांक 28.07.2014 के अपने आदेश के माध्यम से बहाल रखा गया। तथापि दिनांक 20.01.2017 के अपने आदेश के माध्यम से माननीय आईटीएटी ने ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत छूट के दावे की अनुमति दी थी। माननीय आईटीएटी ने यह भी कहा है कि जैसा कि अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत निर्धारिती को लाभों के दावे करने की अनुमति दी है, इसलिए निर्धारिती समूह निधि के प्रति अवस्थापकों द्वारा किये गये अंशदान के संयोजन करने में सक्षम है। उपर्युक्त आईटीएटी आदेश के खिलाफ विभाग ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है, जिसका निपटान लंबित है। उसके बाद आईटीएटी के दिनांक 25.07.2017 के आदेश को प्रभावी मानते हुए दिनांक 09.08.2017 को आदेश प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट से अन्य वर्षों के लिए किए गए मांग राशियों को समायोजित करने के बाद दिनांक 11.04.2018 के मांग ड्राफ्ट के माध्यम से ₹ 16,73,47,440 की राशि प्राप्त हुई है। ट्रस्ट ने अधिनियम की धारा 244, के तहत ब्याज सहित शेष वापसी राशि जारी करने के लिए दिनांक 13.02.2019 को पत्र दाखिल किया है जिस पर कार्यवाही चल रही है।

ग) निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के अंतर्गत जारी आदेश में वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में ₹ 2,50,00,00,000/– की राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और तद्नुसार ₹ 1,02,96,29,110/– की मांग की गई है। इस राशि को जोड़ें जाने के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की थी जिसे माननीय सीआईटी (ए) ने निर्धारण वर्ष 2010–11 के सीआईटी (ए) के आदेश के मद्देनजर अपील को खारिज कर दिया। ट्रस्ट ने माँगी गई राशि ₹ 1,02,96,29,110 में से 31.03.2015 तक किस्तों में ₹ 51,48,14,555/– का भुगतान कर दिया था। सीआईटी(ए) के आदेश से अपकृत हो कर ट्रस्ट ने माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की। दिनांक 26.02.2018 को माननीय आईटीएटी ने निर्धारिती ट्रस्ट के मामलों में निर्धारण वर्ष 2010–11 के आदेश का पालन कर के अपील की अनुमति दी। इसके बाद आईटीएटी के आदेश को लागू करते हुए दिनांक 07.08.2018 का आदेश जो 20.02.2019 प्राप्त हुआ है और ट्रस्ट को अन्य निर्धारण वर्षों के लिए कुछ मांगों समायोजन के बाद 05.09.2018 के मांग ड्रॉफ्ट के माध्यम से ₹ 1,40,99,80,850/–वापस प्राप्त हुए है। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने 07.08.2018 के आदेश में अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती के लिए मंजूरी नहीं प्रदान की। ट्रस्ट ने 13.03.2019 को लिखे पत्र के माध्यम से निर्धारण अधिकारी से शुद्धि आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में ट्रस्ट ने भी 15.03.2019 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है जो निपटान के लिए अभी लंबित है।

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत आदेश पारित करके ₹ 77,25,00,000/– का जुर्माना भी लगाया था और निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए वापस की जाने वाली राशि में से माँगी गई उक्त दंडराशि को समायोजित कर दिया था। उक्त आदेश के खिलाफ, ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की थी और माननीय सीआईटी(ए) ने 01.03.2019 के आदेश के माध्यम से ट्रस्ट के पक्ष में अपील का निपटारा किया था और ₹ 77,25,00,000/– के उक्त दंड को हटा दिया था। ट्रस्ट ने 11.05.2019 को लिखे पत्र के माध्यम से प्रबुद्ध कर–निर्धारण अधिकारी से सीआईटी(ए) के आदेश को लागु करने और वापसी राशि जारी करने का अनुरोध किया है।

घ) निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹ 2,22,50,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के तहत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और इस कारण से ₹ 10,40,35,270/– की माँग की गई थी और इसे अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत दिनांक 13.10.2015 के माध्यम से पारित अपने आदेश के माध्यम से ₹ 10,40,35,270/– की मांग को संशोधित करके ₹ 69,44,000/– किया था। उपर्युक्त संयोजन के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष एक अपील दाखिल की है जिस पर विभिन्न तारीखों को सुनवाई की गई है और आदेश की प्रतीक्षा है।

ङ) निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹ 42,77,50,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम 1961 की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और ₹ 10,48,59,600/– की वापसी निर्धारित की गई जिसे निर्धारण वर्ष 2011–12 की मांग राशि के प्रति समायोजित किया गया है। इस अतिरिक्त दावे के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) में अपील दाखिल की है, जिसका निपटान लंबित है।

च) निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूहनिधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹ 93,73,75,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और ₹ 52,17,58,560/– की धनराशि की वापसी निर्धारित की गई है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने विवरणी में दर्शाई गई हानि राशि ₹ 55,02,16,378/– के घाटे को शुन्य माना है। उक्त आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की थी, जिसने 27.12.2017 के आदेश के माध्यम से निर्धारिती ट्रस्ट को अपील करने की अनुमति दी थी, उसके बाद में सीआईटी(ए) के आदेश को लागू करने के लिए ए.ओ. द्वारा आदेश पारित किया गया जिसमें उन्होंने घाटे के दावे को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी। निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष अपील की है जो निपटान के लिए लंबित है। ट्रस्ट को 13.04.2018 की मांग डॉफ्ट के माध्यम से ₹ 1,22,87,44,100/– की राशि वापस मिली है। आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के खिलाफ माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील की है जिसे माननीय आईटीएटी ने अपने दिनांक 30.07.2019 के आदेश से खारिज कर दिया है।

छ) निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹ 93,73,75,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24) (iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने ₹ 179,15,20,936/– की रिटर्न हानि के अधीन रु.शून्य की रिटर्न आय माना है। उक्त आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है, जिसका निपटान लंबित है। निर्धारण अधिकारी ने ₹ 11,02,47,956/– के स्रोत पर कर कटौती को खाते में जमा नहीं किया है। दिनांक 15.01.2018 को इसे ठीक करने के लिए आवेदन दायर किया गया है जो निपटान के लिए लंबित है।

ज) निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹ 42,48,75,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24) (iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती की अनुमति प्रदान नहीं की है और ₹ 7,94,59,946/– की राशि के बजाय ₹ 50,43,34,946/– की राशि को विवरणी की आय के रूप में स्वीकर किया है। उक्त आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है, जिसका निपटान लंबित है। ₹ 43,67,74,164/– के कुल रिफंड में से, ट्रस्ट को दिनांक 07.06.2018 के मांग ड्राफ्ट के माध्यम से ₹ 17,18,41,511/– (₹ 3,14,33,172/– के ब्याज सहित) की राशि वापस मिली है। इसके अलावा निर्धारण वर्ष 2011–12 की मांग के विरुद्ध ए.ओ. द्वारा ₹ 12,15,34,819/– समायोजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, ट्रस्ट को ₹ 20,36,78,121/– (₹ 2,88,47,115/– के ब्याज सहित) का बैलेंस रिफंड प्राप्त हुआ।

झ) निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹ 44,44,41,750/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24) (iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान को उसी को प्रतिबंधित करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए गए ₹ 63,83,60,843/– के गारंटी दावों के प्रावधान में कटौती को रोक दिया।

प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने ट्रस्ट द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन के कारण खातों में वापस लिखी गई राशि ₹ 27,37,771/– के मूल्यह्रास को कम नहीं किया। प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती की अनुमति प्रदान नहीं की है। उक्त आदेश के विरुद्ध, ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है, जिसका निपटान लंबित है। ट्रस्ट को अभी तक, निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए मूल्यांकन आदेश के साथ आईटीएनएस 150 में प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित ₹ 10,41,28,573/– का रिफंड प्राप्त नहीं हुआ।

ञ) ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2018–19 एवं निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए क्रमशः ₹ 50,98,47,499/– और ₹ 68,99,01,960/–की वापसी का दावा करते हुये आय विवरणी दाखिल की है। इन वर्षों के लिए निर्धारण लंबित है ।

6.2 अप्रत्यक्ष कराधान

क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इंटेलीजेंस महानिदेशालय, चेन्नई ने 14.10.2014 को कारण बताओ नोटिस के द्वारा ट्रस्ट से सवाल किया है कि उसे प्राप्त होने वाले गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क को "व्यापार या वाणिज्य हेतु समर्थन सेवा" क्यों न माना जाए। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(104सी) जिसे धारा 65(105)(जेडजेडजेडक्यू) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, के अंतर्गत ₹ 79,68,11,936/– का दावा और आकलन वर्ष 2009–10 से 30 जून, 2012 तक की अवधि हेतु धारा 75 के अंतर्गत ब्याज तथा धारा 76, 77 एवं 78 के अंतर्गत अर्थ दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में ट्रस्ट ने 17.12.2014 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया और 17.04.2015 और 06.12.2018 को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थिति दर्ज की गई। जीएसटी एवं सीएक्स, भिवंडी के माननीय आयुक्त के कार्यालय के दिनांक 28.05.2019 के मूल आदेश में, ब्याज और दंड के साथ ₹ 79,68,11,936/–की सेवा कर की मांग की पुष्टि हुई है। ट्रस्ट ने कस्टम, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, मुंबई में 29.10.2019 से पहले ₹ 5,97,60,896/– का प्री–डिपॉजिट करके उक्त आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी है। अपील पर सुनवाई होनी बाकी है।

ख) सेवाकर नियम, 1994 के नियम 5, के तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि के लिए कर निर्धारित ट्रस्ट को सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए चुना गया। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर सहायक आयुक्त, सेवाकर, मुम्बई ने 18.04.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और ट्रस्ट से निम्नलिखित स्पष्टीकरण मागें :–

1. सिडबी से स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति को व्यापार समर्थन सेवा गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए और धारा 75 के अंतर्गत ₹ 52,156/– का सेवा कर ब्याज सहित दावा नहीं किया जाना चाहिए और उसकी वसूली भी नहीं होनी चाहिए।
2. विकास आयुक्त से प्राप्त अप्रयुक्त अग्रिमों के अंश पर धारा 75 के अंतर्गत ब्याज सहित सेवा कर के रूप में ₹ 1,74,760/– की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।
3. वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अंतर्गत अग्रिमों के समायोजित अंश पर विलंबित सेवाकर के प्रति विकास आयुक्त से प्राप्त राशि की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।
4. धारा 76 के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर सेवाकर की अदायगी में चूक और धारा 78 के अंतर्गत सेवाकर से बचने हेतु करयोग्य गतिविधियों और करयोग्य सेवाओं की सही प्रकृति और मूल्य को दबाना व गलत घोषणा करने पर देय दंड राशि की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।

इस मामले में कर निर्धारिती न्यास ने पिछला उत्तर 23.08.2016 को प्रस्तुत किया था।इस संबंध में कोई भी आदेश/संप्रेषण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।तत्पश्चात, सेवाकर उपायुक्त ने दिनांक 24.03.2017 के पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या इस में ऊपर खण्ड (ख) के उप–खण्ड (1) और (2) के

अंतर्गत उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में 2015 के बाद समान कार्यप्रणाली जारी रखी गई है। इस के प्रति उत्तर के रूप में न्यास ने दिनांक 18.04.2017 के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत किया है। व्यक्तिगत सुनवाई होनी बाकी है।

ग) जम्मू और कश्मीर में स्थित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को जुलाई 2012 से जून 2014 की अवधि के लिए दी जाने वाली सेवाओं पर अदा किए गए सेवा कर ₹ 1,07,71,826/– की वापसी के दावे के संबंध में दायर अपील के जवाब में, आयुक्त (अपील) ने अपने दिनांकित 28.08.2018 के आदेश से उक्त दावे को इस निदेश के साथ कि वापसी के अपने दावे की पुष्टि के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा प्रस्तुत सभी संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित कर,मूल प्राधिकरण (सहायक आयुक्त (रिफंड–II), सेवा कर–IV, मुंबई) को वापस भेज दिया है। व्यक्तिगत सुनवाई नोटिस मूल प्राधिकरण से प्रतीक्षित है।

घ) 02.04.18 के आवेदन द्वारा ₹ 7,54,06,280/–की वापसी का दावा किया जा रहा है जोकि डीएएन के आधार पर अग्रिम रूप में सेवा कर और उपकर के लिए भुगतान किया गया था जिसके लिए अंततः कोई गारंटी सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं और जिसे देय सेवा कर से समायोजित नहीं किया जा सकता है। सहायक आयुक्त, सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, डिवीजन–I, मुंबई द्वारा दिनांक 07.12.2018 को मूल आदेश से अस्वीकृत कर दिया गया। इसके विरुद्ध ट्रस्ट ने 07.02.2019 को माननीय सेवा कर (अपील)–II, मुंबई के पास अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई होनी बाकी है।

7. ट्रस्ट ने ऋणों में चूक के कारण अनुमानित परिव्यय की बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। तद्नुसार, अपनी रिपोर्ट में बीमांकक द्वारा सुझाया गया अतिरिक्त प्रावधान यथा 31.03.2020 को ₹ 1,912.23 करोड़ है। ऐसे दावों के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष राशि	2,936,51,93,247	21,45,49,48,313
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावे	1,001,36,87,393	816,55,55,066
जोड़े : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1,912,23,00,000	1,607,58,00,000
31 मार्च को अंतिम शेष	3,847,38,05,854	2,936,51,93,247

8. जहां कहीं आवश्यक हुआ, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित, पुनः वर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू

हस्ता./–
(डी.पी. त्रिपाठी, सदस्यता सं. 013593)
साझेदार

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता./–
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 06/08/2020

हस्ता./–
(देवेन्द्र कुमार सिंह, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

हस्ता./–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए

महात्मा गांधी का सपना

साकार करने की दिशा में अग्रसर

सीजीटीएमएसई का पंजीकृत कार्यालय
स्वावलंबन भवन, सिडबी, 7वां तल, सी–11, जी ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.
फोनः +91–22–67221553 टोल फ्रीः 1800 222 659
www.cgtmse.in @CGTMSEOfficial
@CGTMSEOfficial CGTMSE Youtube Channel

Degree 360 Solutions Pvt. Ltd.